No. 5/26/2017-1AR GOVERNMENT OF HARYANA CHIEF SECRETARY'S OFFICE ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Chandigarh the, 4th September, 2017

Subject:

Appointment of State Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana.

The Government of Haryana has constituted a body under the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) known as the State Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. The Commission is located in Chandigarh. The Commission shall have the Chief Information Commissioner and upto ten Information Commissioners. The powers and functions of the Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners are as per chapter V of the Act.

- 2. It is proposed to appoint two Sate Information Commissioners in the Commission. The Act provides that the State Information Commissioner shall be person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass-media or administration and governance.
- 3. Further, the State Information Commissioners shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State, or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business, or pursuing any profession. It is clarified that cessation/termination of holding of office of profit, pursuing any profession or carrying any business is a condition precedent to the appointment of a person as State Information Commissioner.
- 4. State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. The salary and allowances payable to State Information Commissioner shall be the same as that of Chief Secretary of the State Government subject to adjustment of the pensionary /retirement benefits availed by him, if any, in accordance with the provisions of the Act.
- 5. Persons fulfilling the criteria for appointment as State Information Commissioner and interested for appointment to the post may send their particulars in the enclosed proforma by post to the office of Principal Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 53, 8th floor, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh by 04.10.2017. Persons who are serving under the State/Central Government or any other Organization, may send their particulars through proper channel.

Proforma for sending particulars for consideration for the post of State Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana

1. Name:

Please affix the

1. Name:		latest passport size photograph
2. Date of Birth:		size photograph
3. Present Address:		
4. Contact No.		
a) Telephone (along with STD code)		
b) Mobile		
c) Fax		
5. E-mail Address:		
6. Educational Qualification:		
7. Area of Eminence:		
8. Present Occupation:		
Whether any criminal case has been registered aga If yes, details thereof.	inst you?	
 Whether you have been charge-sheeted for any cr If yes, details thereof. 	riminal offence?	
 Whether you have been convicted by any competent of yes, details thereof. 	ent court for any criminal offence?	
12. Achievements/Work Experience (in brief):	**	
Date:	Signature:	
Place:		
	Name:	

कमांक 5/26/2017–1ए0आर0 हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग

दिनांक चण्डीगढ, 4 सितम्बर, 2017

विषय:- हरियाण राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की नियुक्ति बारे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) के अधीन दी गई शिक्तयों का प्रयोग करने तथा सौपें गये कार्यों को करने के लिए हिरयाणा सरकार ने एक बाड़ी का गठन किया गया है जो कि हिरयाणा सूचना का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस तक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसार होंगें।

- 2. हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला समाज में प्रख्यात व्यक्ति होगा।
- 3. राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा। एक व्यक्ति की राज्य सूचना आयुक्त की एक पूर्व शर्त होगी की वह किसी लाभ के पद पर है, किसी व्यवसाय में कार्यरत है या कोई व्यापार कर रहा है, उस कार्य/व्यवसाय को छोडना पड़ेगा।
- 4. राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से इस पद के लिए वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। राज्य सुचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य सचिव के समान होगें। यदि वह कोई पैंशनरी/सेवा निवृत लाभ प्राप्त कर रहा है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार उसे वेतन में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 5. राज्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एंवम नियुक्ति के लिए मानदंण्डों को पूरा करने वाले व्यक्ति इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोर्फामा में अपना विवरण प्रधान सचिव, हिरयाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के कार्यालय कमरा नं0 53, 8वीं मंजिल, हिरयाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर—1, चण्डीगढ को दिनांक 4.10.2017 तक भेज सकते हैं। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाएगा।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग

हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नाम 1.

जन्म तिथि 2.

वर्तमान पता 3.

सम्पर्क नं0 4.

क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित) ख) मोबाईलः

ग) फैक्स

ई-मेल पताः 5.

शैक्षिणक योग्यताः 6.

प्रतिष्ठिता का क्षेत्रः 7.

वर्तमान व्यवसायः 8.

क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है? 9. यदि हाँ, तो उसका विवरण ।

क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये है? 10. यदि हाँ, तो उसका विवरण ।

क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये है? यदि 11. हॉ, तो उसका विवरण ।

उपलब्धियां / काम करने का अनुभव : 12. (संक्षेप में)

दिनांकः

हस्ताक्षर

स्थानः

नामः

नवीनत्म पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें